

उपस्थिति :- श्री सुनील कुमार ,कमिशनर ,वाणिज्य कर,उ०प्र०
 प्रार्थी :- सर्वश्री ऊषा इन्टरनेशनल लि० , शाहनजफ रोड,लखनऊ ।
 प्रार्थना पत्र सं० :- 42/ 2008
 प्रार्थी की ओर से :- श्री विमल श्रीवास्तव, कामर्शियल ऑफिसर ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1- सर्वश्री ऊषा इन्टरनेशनल लि० , शाहनजफ रोड,लखनऊ के द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 06-02-2008 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया है :-

“ डीजल इंजन, डीजल इंजन चलित पम्पिंग सेटस व केरोसिन पम्पिंग सेटस पर कर की दर क्या होगी ? ”

- 2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर मुख्यालय के पत्र संख्या- 749 दिनांक 11-02-2008 से एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1,वाणिज्य कर,लखनऊ जोन लखनऊ से आख्या माँगी गई जो सुनवाई के समय तक प्राप्त नहीं हुयी है।
- 3- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत तिथि 18-02-2008 को श्री विमल श्रीवास्तव, कामर्शियल ऑफिसर उपस्थित हुए । उन्होनें तर्क किया कि उनकी फर्म में डीजल इंजन, डीजल इंजन चलित पम्पिंग सेटस व केरोसिन पम्पिंग सेटस व उनके पार्ट्स की खरीद ,बिक्री का कार्य होता है। यह भी तर्क किया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या -केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू०पी० अध्या०-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के भाग -क के क्रमांक -26 के अनुसार मशीनरी आदि पर कर की दर 4% है तथा उनकी वस्तुयें मशीनरी की श्रेणी में आनी चाहिए ।
- 4- मैंने प्रार्थी के तर्कों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया । जहाँ तक उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या -केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू०पी० अध्या०-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के भाग -क के क्रमांक -26 की प्रविष्टि का सम्बन्ध है । यह निम्न प्रकार है :-

क्रमांक 26	Machinery, equipment, apparatus, tools, moulds, dies and component spare parts, accessories thereof, earth movers
-----------------------------	--

डीजल इंजन तथा डीजल इंजन चलित पम्पिंग सेटस एवं केरोसिन पम्पिंग सेटस यह सभी वस्तुयें मशीनरी की श्रेणी में आती है । डिक्शनरी के अनुसार मशीनरी की परिभाषा निम्न है:-

Machinery A group of parts arranged to perform a useful function. Normally some of the parts are capable of motion; others are stationary and provide a frame for the moving parts. The terms machine and machinery are so closely related as to be almost synonymous; however, machinery has a plural implication, suggesting more than one machine. Common examples of machinery include automobiles, clothes washers, and airplanes; machinery differs greatly in number of parts and complexity.

इस प्रकार मशीनरी की प्रविष्टि ,जो कि बहुत विस्तृत है के अन्तर्गत यह सभी वस्तुयें आ जायेगी । अतः डीजल इंजन तथा डीजल इंजन चलित पम्पिंग सेटस एवं केरोसिन पम्पिंग सेटस पर कर की दर मशीनरी की भाँति उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 के अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या -केएनआई-2-3121/X1-9(197)-07-यू०पी० अध्या०-37-2007-आर्डर-(14) दिनांक 24-12-2007 की अनुसूची -2 के भाग -क के क्रमांक -26 के अनुसार 4% होगी ।

- 5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है
- 6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर-निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय ।

दिनांक :: 18, फरवरी ,2008

ह० 18-2-08
 (सुनील कुमार)
 कमिशनर वाणिज्य कर ,
 उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।